

राजस्थान सरकार


निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर  
 क्रमांक : अराज/सामान्य/2019/525 दिनांक : 18/07/19

आदेश

निम्नलिखित कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार किया जाता है :-

क्र.	नाम कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान
1	जुल्फीकार चिश्ती, फार्मासिस्ट	प्रा.स्वा.केन्द्र, गंधवापाल, डूंगरपुर	मेडिकल कॉलेज, कोटा में मुकेश मीणा (RJKO201227004957) के स्थान पर
2	मुकेश मीणा (RJKO201227004957), फार्मासिस्ट	मेडिकल कॉलेज, कोटा	प्रा.स्वा.केन्द्र, गंधवापाल, डूंगरपुर जुल्फीकार चिश्ती के स्थान पर
3	नईम अख्तर, नेत्र सहायक	सा.स्वा.केन्द्र, छोटी सरवन, बासंवाडा	जिला चिकित्सालय, रामपुरा, कोटा में रिक्त पद पर।

- यदि कार्मिक का स्थानान्तरण रिक्त पद पर किया गया तथा उस संस्थान पर पद रिक्त नहीं है तो कार्मिक को कार्यग्रहण नहीं करवाते हुये अविलम्ब निदेशालय हेतु कार्यमुक्त करें।
  - रिक्त पद पर किये गये स्थानान्तरण में किसी भी स्थिति में कार्मिक का समायोजन अन्य समकक्ष/उच्च रिक्त पद पर नहीं किया जायेगा।
  - अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में किये गये स्थानान्तरण पर यदि कार्मिक की नियुक्ति अनुसूचित क्षेत्र हेतु हुई है अथवा कार्मिक का अनुसूचित क्षेत्र में कार्य हेतु विकल्प पत्र का संतोष पुस्तिका/सेवाभिलेख में इन्द्राज हो, तो उनके आदेश की क्रियान्विति नहीं होगी।
- उपरोक्त शर्तों (1 से 3) की पालना किये जाने का दायित्व कार्यमुक्त करने वाले/कार्यग्रहण कराने वाले अधिकारी का होगा।


  
 ( मुकुल शर्मा )  
 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
 राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2019/525

दिनांक : 18/07/19

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, मा.राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, कोटा।
- संभागीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उदयपुर।
- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
- संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
- संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी।
- संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
 राजस्थान जयपुर